न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

तारीख रजू– 09/05/2014

संख्या 11/14

गोकुल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नई बस्ती खण्डार तहसील खण्डार। ---प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत खण्डार।
पत्नि प्रहलाद जाति मथुरिया महाजन निवासी खण्डार तहसील खण्डार।

--अप्रार्थीगण

दिनांक–25/04/2016

निर्णय

ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत खण्डार की पत्रावली संख्या 202 निर्णय दिनांक 22/10/2013 के विरूद्व प्रस्तुत की है र्थी संख्या 2 को 85X100 फुट कुल 8500 वर्गफुट अर्थात 945 वर्गगज भूमि को कुल -रु0 शुल्क लेकर पुख्ता निर्माण की इजाजत व पटटा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है को ने हेतु निवेदन किया है।

नी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व तहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय की बहस सुनी गई।

द्वान वकील प्रार्थी ने निगरानी मे अंकित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान र्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायत नियम 148 की ही की है अर्थात आपत्ति नोटिस किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नही चिपकाया है। विद्वान वकील बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को आबादी भूमि का जो पटटा यह भूमि प्रार्थी के कब्जे की भूमि है व उस पर प्रार्थी ने पत्थर वगै0 डाल रखे है। जब अप्रार्थी 2 ने प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि पर पडे पत्थरो को खुदबुर्द किया तो प्रार्थी ने इस बात की शिकायत ने की थी परन्तु ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की शिकायत को नजरअन्दाज कर अप्रार्थी संख्या 2 को जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जिस का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 को दिया गया है उस भूमि का विवाद पूर्व मे न्यायालय मे विचाराधीन न्यायालय मे उपरोक्त भूमि पर स्टे रहा है व पूर्व मे इस पत्रावली को कि प्रकरण न्यायालय मे ीन है व माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद ही पुनः पत्रावली कोरम मे पेश की जावेगी के तथ्य देखा करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से साज कर उक्त पटटा जारी करवा लिया भी जारी पटटा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि ग्राम द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट 1996 की धारा 146 के तहत उपरोक्त प्लाट का निरीक्षण नही किया मोका रिपोर्ट कार्यालय मे बैठकर ही तैयार की गई है यदि वास्तव मे मोका निरीक्षण किया जाता तो भूमि पर कब्जा प्रार्थी का पाया जाता। इस कारण भी जारी की गई पुख्ता निर्माण इजाजत व जारी निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का निगरानीधीन निर्णय व पटटा निरस्त फरमाया जावे।

द्वान वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि अप्रार्थी 2 एक गरीब महिला है जिसने दिनांक 06/05/10 को अपने कब्जेशुदा भू–खण्ड पर कब्जा प्राप्त के लिये ग्राम पंचायत मे प्रार्थनापत्र पेश किया है जिस पर ग्राम पंचायत ने 20/07/13 की

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी संख्या 11/14 कन्हैया/ग्राम पंचायत,विमला

मे मोका देखने को तीन मेम्बर नियुक्त किये है। 12/08/13 को मोका रिपोर्ट पेश की गई है /08/13 की आदेशिका मे एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। नोटिस जारी हुआ है जिस पर दो पडोसी पुष्पेन्द्र व सुरेश मथुरिया के हस्ताक्षर है। 22/10/13 निर्माण की इजाजत व पटटा जारी करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है। यत द्वारा ग्राम पंचायत नियमो की पूर्ण पालना के पश्चात ही अप्रार्थी को पुख्ता निर्माण की व पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः प्रार्थी की खारिज की जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय/जारी पटटा यथावत रखा जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निकलता है कि अप्रार्थीया ने दिनांक 06/05/10 को ग्राम पंचायत मे एक प्रार्थनापत्र पुख्ता मकान टा बनाने बाबत पेश किया है जिस पर आदेशिका दिनांक 20/03/13 को नक्शा बनाये जाने के दिये गये है। आदेशिका दिनांक 20/07/13 को मोका रिपोर्ट हेतु 3 सदस्यो को नियुक्त किया गया हने 12/08/13 को मोका रिपोर्ट बनाई है जिसमे यह राय व्यक्त की है कि अप्रार्थीया को उपरोक्त का नजराना जमा कर निर्माण इजाजत व पटटा दे दिया जावे तो पंचायत को इसमे कोई आपत्ति मोका रिपोर्ट पेश होने पर आदेशिका दिनांक 20/08/13 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी का आदेश दिया गया है जिसकी पालना मे भूमि का विवरण अकित करते हुए एक माह का आपत्ति जारी किया गया है। आपत्ति नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने के दो गवाहो के हस्ताक्षर न पंचायत मे किसी भी व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 22/10/13 को /–रू0 नजराना शुल्क लेकर अप्रार्थीया को पुख्ता निर्माण की इजाजत व पटटा जारी करने का पारित किया गया है। जहां तक वकील प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय का है व प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है तो ऐसा कोई दस्तावेज वकील प्रार्थी ने इस न्यायालय मे किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमो की पूर्ण कर अप्रार्थीया को निर्माण इजाजत व पटटा जारी करना पाया जाता है जिसमे किसी प्रकार की नितता व अवैधानिकता जाहिर नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत खण्डार का दिनांक 22/10/13 व उसकी पालना मे जारी पटटा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर